न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......383/2023

सरकार बनाम विकास आदि

अंतर्गत धारा–498A,323/34,406,504,506 भा०द०सं०एवं
धारा–3/4 दहेज प्रति०अधि०
थाना–विजयनगर गाजियाबाद।
मु0 अ 0 सं0–1508/2021

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला मय अधिवक्ता जमानत पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयी।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–498A,323/34,406,504,506 भा०द०सं०एवं धारा–3/4 दहेज प्रति०अधि० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15–12–2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 24.11.2023

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.11.29 16:19:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court